RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक ३(२)] मंगळवार, फेब्रुवारी २७, २०१८/फाल्गुन ८, शके १९३९ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २७ फरवरी, २०१८ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. II OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २, सन् २०१८।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१८, २५ जनवरी २०१८ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १९६५ का महा. ४० ।

सन् २०१८ का महा. अध्या. क्र. ४ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए,

. . . . . :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए।

(२) यह २५ जनवरी २०१८ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया हैं) की धारा २ के,— सन् १९६५ का महा. ४०।

(क) खण्ड ९ के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(९क) "जिला प्रशासनिक अधिकारी (डीएओ)" का तात्पर्य, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, सरकार द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारी के रुप में नियुक्त किये गये अधिकारी, से हैं ;" ;

(ख) खण्ड (२२) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(२२क) "बैठक अधीक्षक" का तात्पर्य, परिषद और समितियों की कार्यवाहियों के रखरखाव के प्रयोजन के लिये मुख्य अधिकारी द्वारा बैठक अधीक्षक के रुप में पदाभिहित अधिकारी या व्यक्ति, से हैं और जो धारा ८३क के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा ;"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ५५ में, विद्यमान परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, इस उप-धारा के अधीन कोई भी ऐसा संकल्प, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं लाया जायेगा। धारा ५१क-१क के अधीन सीधे रुप से निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने के लिये, धारा ५५-१ के उपबंध लागू होंगे।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५-१ का प्रतिस्थापन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५५-१ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को हटाना।

"**५५-१.** (१) धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने की माँग करने के आवेदन पर पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक द्वारा हस्ताक्षर आवश्यक हैं और ऐसे अध्यक्ष के विरुद्ध कदाचार का प्रभार अंतर्विष्ट होगा और इसे कलक्टर को भेजा जायेगा :

परंतु, ऐसी कोई भी माँग, ऐसे अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से ढाई वर्षों की अवधि के भीतर नहीं भेजी जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, माँग की प्राप्ति पर, कलक्टर ऐसे प्रभारों की जाँच संचालित करेगा और माँग की प्राप्ति के दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसी जाँच पूरी करेगा :

परंतु, किसी भी मामले में, जाँच की ऐसी अवधि, तीन महीनों से परे विस्तारित नहीं की जायेगी और यदि अपरिहार्य कारणों के कारण जाँच कार्यवाहियाँ विलंबित होती हैं, तब, ऐसे विस्तारित अवधि के लिये, राज्य सरकार की पूर्व सहमति कलक्टर द्वारा प्राप्त की जायेगी।

(३) कलक्टर, धारा ५५क के अधीन समुचित कार्यवाही करने के लिये, सरकार को जाँच के तथ्यों को प्रस्तुत करेगा।"।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५५क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ५५क में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु आगे यह कि, सरकार रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से छह महीनों की अवधि के भीतर धारा ५५-१ के अधीन कलक्टर द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट पर विनिर्णय लेगी।"।

६. मूल अधिनियम की धारा ५८ की,— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५८ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ख), अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) खण्ड (घ), अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) खण्ड (ङ), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन विरचित विधि द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे रुप से निर्वाचित किये गये अध्यक्ष को, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से, विहित किये जाये ऐसे विकास कार्यों के ऐसे प्रस्तावों को और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान में से विकास कार्यों को वित्तीय अनुमोदन देने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट अनुदेश नहीं दिये गये हैं और परिषद को कार्य चुनने का विवेकाधिकार हैं तो वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।"।

७. मूल अधिनियम की धारा ७४ की,— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ७४ में संशोधन।

(क) उप-धारा (३) में, " सहायक और उप-कलक्टर " शब्दों के स्थान में, " जिला प्रशासनिक अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में, " सहायक और उप-कलक्टर " शब्दों के स्थान में, " जिला प्रशासनिक अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ।

८. मूल अधिनियम की धारा ७५ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ७५ में संशोधन।

" (१) प्रत्येक परिषद का एक मुख्य अधिकारी होगा जो, मुख्य अधिकारियों या राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले किसी अन्य अधिकारी के संवर्ग से नगर परिषद को, राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी होगा। "।

९. मूल अधिनियम की धारा ७७ की,— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ७७ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) के,—

(एक) खण्ड (क) में, " अध्यक्ष के नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के अध्यधीन " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (कक) सरकार की सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये सरकार के प्रतिनिधि के रुप में कार्य करेगा और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेवार होगा, और सरकार द्वारा, समय-समय से जारी किये गये निदेशों को कार्यान्वित करेगा ; " ;

(तीन) खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ख) सरकार के प्रतिनिधि के रुप में, परिषद के विनिर्णयों या संकल्पों को प्रभावी करने के लिये, जिम्मेवार होगा :

परंतु, यदि कोई विनिर्णय या संकल्प, इस अधिनियम के उपबंधों या किसी अन्य विधि, किसी सरकारी नीति, नियमों, उप-विधियों या सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के विरुद्ध या उल्लंघन में हैं, तब, तीन दिनों के भीतर धारा ३०८ के अधीन कलक्टर को ऐसा विनिर्णय या संकल्प प्रस्तुत करना, उसकी जिम्मेवारी होगी ; " ;

(चार) खण्ड (च) में, " अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा " शब्दों के स्थान में, " सरकार, निदेशक, अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) " अध्यक्ष की मंजूरी के साथ " शब्द, अपमार्जित किये जायेंगे ;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, ऐसा प्रत्यायोजन, मुख्य अधिकारी द्वारा नियंत्रण और पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा। "।

सन् १९६५ का महा ४० की धारा ८१ में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ८१ की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " सामान्य बैठक दो महीने में एक बार ली जायेगी " शब्दों के स्थान में, " सामान्य बैठक प्रत्येक महीने में एक बार ली जायेगी" शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " पहली ऐसी बैठक दो महीनों के भीतर ली जायेगी " शब्दों के स्थान में, " पहली ऐसी बैठक एक महीने के भीतर ली जायेगी " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " प्रत्येक पूर्ववर्ती सामान्य बैठक दो महीनों के भीतर ली जायेगी " शब्दों के स्थान में, " प्रत्येक पूर्ववर्ती सामान्य बैठक एक महीने के भीतर ली जायेगी" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) के खण्ड (क) में, " और नगरपालिका कार्यालय पर चिपका जायेगा " शब्दों के स्थान में, " नगरपालिका कार्यालय और परिषद या **नगर पंचायत** की अधिकृत वेबसाईट पर डाली जायेगी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (९) के, खण्ड (ख) में,–

(एक) " नगरपालिका कार्यालय " शब्दों के पश्चात्, " परिषद या **नगर पंचायत** की अधिकृत वेबसाईट " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, बैठक की कार्यसूची पर पार्षदों के सभी प्रस्तावों पर परिषद या **नगर पंचायत** के मुख्य अधिकारी की विस्तृत टिप्पणी होनी चाहिए। " ;

(घ) उप-धारा (१२) में,—

(एक) " कार्यवृत्त यथासंभव शीघ्र, हस्ताक्षरित किया जायेगा " शब्दों के स्थान में, " कार्यवृत्त सात दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किया जायेगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " नगरीय क्षेत्र के किन्हीं निवासी द्वारा " शब्दों के स्थान में, " नगरीय क्षेत्र के किन्हीं निवासी द्वारा और संकल्प, परिषद की अधिकृत वेबसाईट और निदेशक की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ८३ में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा ८३ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

परिषद, स्थायी समिति आदि की कार्यवाहियाँ।

"**८३.** (१) मुख्य अधिकारी को, परिषद की बैठक में उपस्थित रहने और पार्षद के रुप में वहाँ होनेवाले विचार-विमर्श में भाग लेने का समान अधिकार होगा और, अध्यक्षीय प्राधिकारी की अनुमति से, तथ्यों की टिप्पणी या स्पष्टीकरण किसी भी समय कर सकेगा किंतु उसे, ऐसी बैठक में मत देने या प्रस्ताव रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

(२) परिषद, अपने किन्हीं भी अधिकारियों को, परिषद की किसी बैठक या बैठकों को उपस्थित रहना आवश्यक करेगी, जिसमें ऐसे अधिकारी द्वारा, उसके कर्तव्यों के समय पर कोई मामला निपटाया हो, पर विचार-विमर्श किया जायेगा ; जब किसी अधिकारी की किसी ऐसी बैठक में इस कारण उपस्थित होना आवश्यक हो, तब उसे, परिषद जैसा आवश्यक समझे, तथ्यों की टिप्पणी करने या स्पष्टीकरण करने या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले से संबंधित उसके पास की ऐसी जानकारी देने के लिये बुलाया जा सकेगा।

(३) मुख्य अधिकारी को, स्थायी समिति या विषय समिति की बैठक में उपस्थित होने और उक्त समिति के सदस्य के रुप में वहाँ पर होनेवाले विचार-विमर्श में भाग लेने का समान अधिकार होगा किंतु, ऐसी बैठक में मत देने या कोई प्रस्ताव रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

(४) मुख्य अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में, इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, परिषद, स्थायी समिति की या विषय समिति की बैठक में उपस्थित रहने और उक्त समितियों के सदस्य के रुप में वहाँ होनेवाले विचार-विमर्श में भाग लेने का समान अधिकार होगा किंतु, ऐसी बैठक में मत देने या कोई प्रस्ताव रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी ।

(५) इस अधिनियम और अन्य विधियों के उपबंधो को, किसी सरकारी नीति, नियमों, उप-विधियों या सरकार द्वारा जारी निदेशों को परिषद के ध्यान में लाना, यह मुख्य अधिकारी का कर्तव्य होगा और यदि परिषद प्रतिकूल संकल्प करे तब धारा ३०८ के अधीन कलक्टर को संकल्प भेजने, के कर्तव्य को वह अधिकतर बाध्य होगा। ”।

१२. मूल अधिनियम की धारा ८३क के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ८३ क का प्रतिस्थापन।

“ **८३क.** (१) (क) जहॉ, मुख्य अधिकारी को किसी प्रस्ताव को परिषद या समिति की पूर्व मंजूरी या अनुमोदन की आवश्यकता होती हैं, वहाँ परिषद या समिति, बैठक अधीक्षक द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के तुरंत पश्चात्, हुई परिषद या समिति की बैठक चाहे ऐसे प्रस्ताव से संबंधित मद, बैठक की कार्यसूची में लिये गये हो या न हो के दिनांक से गणना के तीस दिनों के भीतर मुख्य अधिकारी कोई ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगा या निपटान करेगा।

(ख) मुख्य अधिकारी, बैठक अधीक्षक को कोई प्रस्ताव भेजेगा, जिसके लिये परिषद या, यथास्थिति, समिति का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा, और बैठक अधीक्षक, संबंधित समिति के अध्यक्ष या सभापति के समक्ष, उसे तुरंत रखेगा ।

(२) (क) यदि, परिषद या समिति, उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफल होती हैं, तब संबंधित समिति का अध्यक्ष या सभापति, उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्, सात दिनों के भीतर प्रस्ताव विनिश्चित करेगा। ऐसे प्रस्ताव पर संबंधित समिति के अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिया गया विनिर्णय, परिषद या संबंधित समिति द्वारा दिया गया समझा जायेगा :

परंतु, किसी ऐसी समझी गई मंजूरी या अनुमोदन इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के विद्यमान उपबंध प्रस्ताव के अनुरुप निर्बन्धित सीमित होंगे।

(ख) सरकार के निदेशन के अनुसार मुख्य अधिकारी जिसकी सिफारिश करता है ऐसे प्रस्ताव उपर्युक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अध्यक्ष या समिति का सभापति निर्णय लेने में असफल होता है या परिषद, समिति अध्यक्ष या, यथास्थिति, समिति का सभापति, ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत करता है तब मुख्य अधिकारी को ऐसे प्रस्ताव प्रभावी करने के लिए सशक्त किया जायेगा और तीन दिनों के भीतर सरकार को उस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”।

१३. मूल अधिनियम की धारा ९३ की,— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९३ में संशोधन।

(क) उप-धारा (२) के, —

(एक) खण्ड (ग) में,—

(१) “ परिषद का अनुमोदन या मंजूरी ” शब्दों के स्थान में “ स्थायी समिति का अनुमोदन या मंजूरी ” शब्द रखे जायेंगे ;

(एक) निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु यह कि, सरकार जिसे समय समय से, विहित करे, ऐसे संविदा के ऐसे प्रवर्ग के लिए, अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी से मिलकर बनी एक समिति, ऐसी संविदा को उसकी प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर अनुमोदन देगी। ” ;

(दो) खण्ड (घ) में, “ परिषदे को ” शब्दों के स्थान में, “ स्थायी समिति को ” शब्द रखे जोयेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(एक) “ परिषद ” शब्दों के स्थान पर, “ स्थायी समिति ” शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) “ स्थायी समिति के दो सदस्यों ” शब्दों के स्थान में, “ स्थायी समिति के दो सदस्यों या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत, परिषदे के कोई दो पार्षदों ” शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (७) में, “ परिषद ” शब्दों के स्थान में “ स्थायी समिति ” शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (८) में, “ परिषद ” शब्दों के स्थान में “ स्थायी समिति ” शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १०१ में संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा १०१ की, उप-धारा (१) में, " अध्यक्ष के निदेशनों के अधीन " शब्द, अपमार्जित किए जायेंगे ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३०८ में संशोधन।

१५. मूल अधिनियम की धारा ३०८ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :–

" (१) यदि परिषद या कोई समिति इस अधिनियम या किसी अन्य विधि या नियमों, उप-विधियों के उपबंधों या सरकार के निदेशनों के प्रतिकूल संकल्प तब कार्यान्वयन के स्थगन के लिए या उसके करने के ऐसे संकल्प के लिए उक्त संकल्प की प्राप्ति से तीन दिनों की अवधि के भीतर कलक्टर के पास भेजने की मुख्य अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। कलक्टर, ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगा। यदि वह उक्त अवधि के भीतर अनिर्णित रह जाता है तब कलक्टर दस दिनों के भीतर निदेशक को उसकी रिपोर्ट भेजेगा और उसपर निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे मामले में, निदेश के आदेश के विरुद्ध की गई अपिल राज्य सरकार को ग्राह्य होगी । "।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-७ का निवेशन।

१६. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-६ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

नगर पंचायत को कतिपय धाराओं की प्रयुक्ति।

" **३४१ख-७.** उप-धारा ३४१ख-१ से ३४१ख-६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५५, ५५-१, ५८, ७५, ७७, ८१, ९३ और १०१ के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन सहित** नगर पंचायत को लागू होंगे । "।

सन् २०१८ का महा. अध्या. क्र. ४ का निरसन और व्यावृत्ति।

१७. (१) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१८, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१८ का महा. अध्या. क्र. ४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष आम निर्वाचन से नगर परिषद या **नगर पंचायत** के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते है और अध्यक्ष की पदावधि ५ वर्षों की होती है।

अध्यक्ष के पद को स्थिरता लाने और नगर परिषद तथा **नगर पंचायत** के कार्यान्वयन में कार्यक्षमता बढाने, पारदर्शकता लाने तथा उसे जवाबदेही बनाने की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों को उपांतरित करना इष्टकर समझा गया है।

२. प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :–

(१) नगर परिषद और **नगर पंचायत** के अध्यक्ष के पद की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव, अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से ढाई वर्ष की अवधि के भीतर नहीं लाया जायेगा और कदाचार के अधिरोपों का उल्लेख ऐसे प्रस्ताव में करना भी अनिवार्य होगा ; यह भी उपबंध करना प्रस्तावित है कि, अध्यक्ष कदाचारी सिद्ध होने के मामले में सरकार द्वारा निकाला जायेगा ;

(२) सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को पूरे नगर या शहर में विकासात्मक कार्य करने को समर्थ बनाने के उद्देश से वैवेकिक वित्तीय शक्तियों से अध्यक्ष को सशक्त बनाने का प्रस्तावित है ;

(३) परिषद में सरकारी प्रतिनिधि के रुप में मुख्य अधिकारी की भूमिका स्पष्ट करना और मुख्य अधिकारी को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाएँ और सरकारी निदेशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाना ;

(४) यह सुनिश्चित करना कि, परिषदों के संकल्प तथा विनिर्णय अधिनियम, नियमों तथा सरकारी नीतियों के अनुसार है और यदि वह इस प्रकार से नहीं है तो उसे समुचित कार्यवाही के लिए कलक्टर के पास भेजने की मुख्य अधिकारी की जिम्मेवारी है। इस प्रयोजन के लिए, मुख्य अधिकारी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्त्व में स्पष्टता लाने का प्रस्तावित किया गया है ;

(५) परिषद और **नगर पंचायत** के कार्य में कार्यक्षमता, पारदर्शकता तथा उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अधीन उपबंधों को उपांतरित करना प्रस्तावित किया गया है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नही चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था अत: महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१८, २५ जनवरी २०१८ को प्रख्यापित किया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २३ फरवरी, २०१८।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव, अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड ६(ख).—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा ५८ में नयी उप-धारा (१क) निविष्ट करना हैं, जिसमें राज्य सरकार को, समय-समय से, विकास कार्यों, जिनके अध्यक्ष धारा ५१क-१क के अधीन सीधे निर्वातित हुआ हैं, वित्तीय मंजुरी देने की शक्ति होगी के प्रस्ताव विहित करने की शक्ति प्रदान की गयी हैं।

खण्ड १३(क)(एक)(दो).—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, मूल अधिनियम की धारा ९३ की, उप-धारा (२) में, परंतुक निविष्ट करना हैं, जिसमें राज्य सरकार को, नियमों द्वारा, समय-समय से, संविदा का प्रवर्ग, जो, अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी से सम्मिलित समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी, विहित करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपरोक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २७ फरवरी, २०१८ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.